65

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 03 /~~अपील~~/ श्योपुर / भू.रा. / 2017 /

III/अपील/श्योपुर/भू०रा०/२०17/2844

कपूरीबाई पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र पत्नी मदरू, आयु 49 साल, व्यवसाय खेती, निवासी ग्राम बगवाज, जिला श्योपुर म0प्र0

—— अपीलार्थी

बनाम

मध्य प्रदेश शासन, द्वारा– कलेक्टर,

—— प्रतिअपीलार्थी

अपील अंतर्गत धारा 44 म.प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 98 / 2016–17 / अपील में पारित आदेश दिनांक 20. 06.2017 के विरूद्ध।

श्रीमान जी,

अपीलार्थी की ओर से अपील निम्न प्रकार है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः–

1– यहकि, ग्राम बगवाज की विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 430 रकवा 0.596 है., 489 / 1 रकवा 0.732 है., 490 रकवा 1.150 है. कुल किता 3, कुल रकवा 2.478 हैक्टेयर, जिसकी अपीलार्थी भूमिस्वामी है तथा उक्त भूमि पर काबिज होकर कृषि करती चली आ रही है।

2– यहकि, उपरोक्त विवादित भूमि अपीलार्थी के पिता स्व0 श्री रामचन्द्र एवं उसके अपीलार्थी के चाचा गनपत को पट्टे पर भू–दान यज्ञ पर्पद मध्य भारत के तहत दिनांक 19.10.1962 को प्रदान की गयी थी। जब भी से काबिज होकर निरंतर कृषि कार्य करते रहे तथा प्रार्थिया के पिता के मृत्यु के पश्चात अपीलार्थी उपरोक्त भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रही है। उक्त भूमि के संबंध में अपीलार्थी को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये है।

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/श्योपुर/भूरा/2017/2844

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
10 –11–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा पेनल अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 98/अपील/2016–17 द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.6.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। निगरानी में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा अपील पत्र के साथ अपर आयुक्त न्यायालय में पटटा संलग्न किया गया हे वह सन् 1962 को होना बताया हे जबकि सन् 1962 के पूर्व अर्थात 1959 में मध्य भारत प्रांत न होकर राज्य का गठन हो चुका था। उक्त पटट्ा भू–दान यज्ञ पर्षद मध्य भारत द्वारा जारी किया जाना बताया गया है। उक्त पटट्े में सर्वे कमांक 459/1 मिन एवं 490 का उल्लेख है जबकि यह अपील अपर आयुक्त के	

न्यायालय में सर्वे कमांक 430, 489 मिन 1.490 के संबंध में प्रस्तुत किया गया है जिसका उल्लेख अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में किया गया है। कलेक्टर ने शासन के पक्ष में दिनांक 6.9.95 को भूमि घोषित की जा चुकी है। इसके विरूद्व वरिष्ठ न्यायालय में अपील/निगरानी भी नहीं की गई है। अतः कलेक्टर का आदेश से अपर आयुक्त द्वारा सहमत हैं। उनके द्वारा कलेक्टर का आदेश स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। इसलिये अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.6.17 स्थिर रखे जाने योग्य है।

3– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 98/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 20.6.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

सदस्य